

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

का0आ0सं0-भवन-13/अभि0प्र0(नि0)-03-निलंबन/कालीकृत-12/2017...../ पटना, दिनांक:-18.1.18

संशोधित कार्यालय आदेश

सर्वेदक मेसर्स टॉप लाईन इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा0 लि0 प्रिमियर हाउस, 19 जी0सी0 एवेन्यू, द्वितीय तल, कमरा नं0-64, कोलकाता, निबंधन सं0-पथ-अ0प्र0/श्रेणी-प्रथम-336/10 द्वारा कटिहार जिलान्तर्गत अमदाबाद प्रखंड में प्रखंड सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र भवन का निर्माण कार्य के निविदा में भाग लिया गया।

उक्त सर्वेदक को निविदा की गोपनीयता को भंग करने/समूह (Cartel) बनाकर निविदा डालने के आरोप में बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली-2007 की कंडिका-11(क) के उप कंडिका-(X) के तहत भवन निर्माण विभाग के कार्यालय आदेश सं0-343(भ0) दिनांक- 29.12.17 सह-पठित ज्ञापांक-11792(भ0) दिनांक-29.12.17 द्वारा पत्र निर्गत की तिथि-29.12.17 से एक वर्ष के लिए भवन निर्माण विभाग के सभी कार्यों से निलंबित किया गया है।

प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग के पत्रांक-309 दिनांक-06.01.18 द्वारा पृच्छा किया गया कि उक्त आदेश से स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि सर्वेदक का निबंधन निलंबित किया गया है तथा उक्त निलंबन अन्य विभागों के लिए प्रभावी रहेगा या नहीं।

ज्ञातव्य हो कि पथ निर्माण विभाग के पत्रांक-06/नियम-03-04/02 13211(S) दिनांक-16.10.08 में उल्लेखित है कि "राज्य के किसी एक विभाग के द्वारा कालीकृत/दंडित किये जाने पर सर्वेदक अन्य विभागों में भी कार्य प्राप्त नहीं कर सकेगें/संबंधित दण्ड के अधीन कार्य प्राप्त करने की अर्हता रखेंगे।" उक्त नियम से स्पष्ट होता है कि राज्य सरकार के किसी भी विभाग में यदि किसी सर्वेदक को विभागीय कार्यों से निलंबित किया जाता है तो इसका प्रभाव हर विभाग पर पड़ेगा और राज्य सरकार के किसी भी विभाग में इनको कार्य आवंटित नहीं किया जा सकेगा। इस आशय की सूचना विभागीय पत्रांक-298(भ)दिनांक-10.01.18 द्वारा जल संसाधन विभाग को सूचित किया गया है।

उक्त वर्णित स्थिति से स्पष्ट किया जाता है कि सर्वेदक मेसर्स टॉप लाईन इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा0 लि0 प्रिमियर हाउस, 19 जी0सी0 एवेन्यू, द्वितीय तल, कमरा नं0-64, कोलकाता निबंधन सं0-पथ-अ0प्र0/श्रेणी-प्रथम-336/2010 को पूर्व में निर्गत कार्यालय आदेश की तिथि दिनांक-29.12.17 से एक वर्ष के लिए निविदा में भाग लेने से निलंबित किया जाता है।

—(लक्ष्मी नारायण दास)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक- भवन-13/अभि0प्र0(नि0)-03-डिबार/कालीकृत-12/2017.....(62061)पटना, दिनांक-18.1.18

निबंधित

प्रतिलिपि:-सर्वेदक मेसर्स टॉप लाईन इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा0 लि0 प्रिमियर हाउस, 19 जी0सी0 एवेन्यू, द्वितीय तल, कमरा नं0-64, कोलकाता, को सूचनार्थ प्रेषित।

—अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव

ज्ञापांक-भवन-13/अभि0प्र0(नि0)-03-निलंबन/कालीकृत-12/2017.....620 (अ) पटना, दिनांक-1.8.18

प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव के आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव के आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग/सभी मुख्य अभियंता, भवन निर्माण, विभाग/पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास विभाग/ऊर्जा विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/सभी मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग/ सभी अधीक्षण अभियंता, भवन निर्माण विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग/मुख्य अभियंता योजना एवं विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

— अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव

ज्ञापांक-भवन-13/अभि0प्र0(नि0)-03-निलंबन/कालीकृत-12/2017...620 (अ) पटना, दिनांक-1.8.18

प्रतिलिपि:-अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि अपने स्तर से भी आवश्यक कार्रवाई करना चाहेंगे।

—अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव

ज्ञापांक- भवन/अभि0प्र0(नि0)-02-विविध-12/2015.....620 (अ) पटना, दिनांक-1.8.18

प्रतिलिपि:- आई0 टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव